

बैंक जमा के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 'जेडए' और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(6) के अंतर्गत नामांकन में रूपांतरण.

मैं/हम(नाम और पता)

..... (नाम और पता) के पक्ष में मेरे/हमारे द्वारा किया गया नामांकन रद्द करता/करती हूँ/करते हैं और एतद द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता/करती हूँ/करते हैं जिन्हें मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने की स्थिति में जमा राशि, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, फेडरल बैंक लिमिटेड की शाखा द्वारा वापस लौटाई जा सकती है.

जमा			नामांकित व्यक्ति				
जमा की प्रकृति	विशिष्टता सूचक सं.	अतिरिक्त विवरण, अगर कोई है	नाम	पता	जमाकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई है	आयु	जन्म तिथि, यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क है.

चूंकि इस तिथि को नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, अतः मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी

(नाम और पता और आयु)

.....को नामांकित व्यक्ति की अवयस्कता

के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति की ओर से जमा राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

स्थान:

*जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

दिनांक:

गवाह (गवाहों) का/के नाम, हस्ताक्षर और पता (पते) @

ध्यान रखें :

*जहाँ किसी अवयस्क के नाम पर जमा किया जाता है, नामांकन के रूपांतरण पर अवयस्क की ओर से कानूनी रूप से कार्य करने अधिकारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए.

& अगर नामांकित व्यक्ति अवयस्क नहीं है तो काट दिया जाना चाहिए.

@ अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा.